मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 10111 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I / 2012 भोपाल, दिनांक 26/10/2012

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी नरेगा
3. कार्यपालन यंत्री
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
   जिला समस्त (म.प्र)

विषय:— महात्मा गांधी नरेगा के तहत ''बोरी बंधान'' व अन्य कार्य गैर अनुमत कार्यो को नहीं लिये जाने बाबत्।

संदर्भ:—विभाग का पत्र कमांक 9345 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-II / 2012, दि. 03.10.2012।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत ''बोरी बंधान'' व अन्य कार्य गैर अनुमत कार्य कतिपय राज्यों में लिये जाने की शिकायतें भारत सरकार को प्राप्त हुई है, जिसके अनुक्रम में श्री पी.एन. शुक्ला, अवर सचिव मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्र क्र. J-14017 / 1 / 20120-MGNREGA-I(FTS-9634) दिनांक 03.10.2012 से ऐसे कार्य टिकाऊ आस्तियों की श्रेणी में नहीं आने से स्कीम के तहत नहीं लिये जाने के निर्देश जारी किये गये है। परिषद के संदर्भित पत्र से स्कीम के तहत अनुमत कार्यो की सूची जारी की गई है।

विभाग के पत्र क्रमांक 1349 / 22 / वि—9 / आरजीएम / 2001, दि. 24.10.2011 द्वारा जल अभिषेक अभियान के संबंध में जारी निर्देशों में बिन्दु क्र. 2.1.8 में ''बोरी बंधान'' के निर्माण का उल्लेख महात्मा गांधी नरेगा, ग्राम पंचायत के मूलभूत मद, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत इत्यादि से किये जाने का लेख किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त नवीन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी परिपत्र से महात्मा गांधी नरेगा से ''बोरी बंधान'' निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

अतएव किसी भी स्थिति में ''बोरी बंधान'' व अन्य गैर अनुमत कार्य जो मनरेगा के अनुमत कार्यो की सूची में शामिल नहीं है, उन्हें स्कीम के तहत स्वीकृत नहीं किया जावें। गैर अनुमत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य संपादन कराया जाना पाये जाने पर संबंधित स्वीकृतियां जारी कर्ता अधिकारी / पंचायती राज संस्था

व मस्टर रोल आदि जारी करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत को उत्तरदायी ठहराया जाकर उनके विरूद्ध सक्षम स्तर से कार्यवाही की जा सकेगी।

25/10/12

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 10112 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I / 2012 भोपाल, दिनांक 26 / 10 / 2012

प्रतिलिपिः

1. विकास आयुक्त, म.प्र.।
2. अपर विकास आयुक्त, म.प्र.।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.।
4. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय।
5. संचालक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, विकास आयुक्त कार्यालय।
6. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय।
7. संभागीय कमिश्नर समस्त म.प्र.।
8. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त मंडल, म.प्र.।
9. कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त जिला।
10. सहायक यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा / मनरेगा) जनपद पंचायत समस्त जिला म.प्र.।

---

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष सहायक माननीय राज्य मंत्री म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय।

25/10/12

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग